दां.प्रकी.(जमा.) 4051/2004

07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री किशन बंसल,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थीगण का तर्क है कि इस प्रकरण में अव्वल में सात व्यक्तियों के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की गई थी, उसके बाद 173 (8) दं.प्र.सं. में तफ्तीश लम्बित रही और दो व्यक्तियों के खिलाफ और चार्जशीट प्रस्तुत हुई। अभियुक्तगण-प्रार्थीगण इमरान खान खां, जनाब अली, अयूब खां, जेबलहक व नवाब खां के विरूद्ध तफ्तीश धारा 173 (8) दं.प्र.सं. में लम्बित रही थी जिनके विरूद्ध भी अब तफ्तीश होकर इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। अभियुक्त-प्रार्थीगण 20.10.2004 से हिरासत में है। उनका तर्क है कि इस प्रकरण में अभियुक्तगण लाल खां व जलाल खां इस न्यायालय द्वारा जमानत पर हैं जिनके द्वारा गण्डासी की चोट मृतक लियाकत के पहुंचाई थी। ये अभियुक्तगण लियाकत के साथ हुई मारपीट के बाद हुए वाके में साथ होना बताए हैं। लियाकत के साथ इन अभियुक्तगण द्वारा मारपीट नहीं की गई है। सभी सहअभियुक्तगण जमानत पर हैं, अत: इन अभियुक्त-प्रार्थीगण को भी जमानत पर रिहा किया जावे।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया गया। प्रकरण में अव्वल में लाल खां, जलाल खां व मुखत्यार बानो मजूरा, गुलजारा, अल्लाबक्स, मुमताज व हसरत अली के विरूद्ध चार्जशीट प्रस्तुत हुई है और सभी अभियुक्तगण जमानत पर होना बताए गए हैं। इसके बाद प्रकरण धारा 173 (8) दं.प्र.सं. में लम्बित रहा और अब अभियुक्त-प्रार्थीगण इमरान खान खां, जनाब अली, अयूब खां, जेबलहक व नवाब खां को गिरफ्तार किया गया है और वे भी हिरासत में है। मृतक के चोटें पहुंचाने का विशिष्ठ आरोप इन अभियुक्तगण के विरूद्ध नहीं है। मृतक को चोट पहुंचाने के बाद अन्य व्यक्तियों के साथ वाका करने में इनका नाम आया है। चूंकि सभी अभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है, इन अभियुक्तगण का मारपीट करने में साथ होना स्पष्ट नहीं आया है और बाद के वाके में इनका साथ होना बताया गया है, प्रकरण में आई परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुणावगुण पर राय दिए, अभियुक्त-प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण इमरान खां पुत्र वेद खां, जनाब अली पुत्र मोहम्मद अली हाजी, अयुब खां पुत्र शेर खां, जेबलहक पुत्र गुलाम फरीद व नवाब खां पुत्र जलाल हाजी योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, प्रत्येक प्रार्थी, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)

जी.एन.शर्मा